

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर


क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2008/ 88105-14  
आदेश 88104

जयपुर, दिनांक:  
24-05-2018

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियमों के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी लेवल-10 पै-मैट्रिक्स (33800-106700) के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2018 से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

1	श्रीमती लीना गांधी
2	श्री सुरेन्द्र कुमार पर्चवानी
3	श्री मुकेश कुमार गुप्ता
4	श्रीमती प्रेम देवी मीना

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वित्तीय लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।


  
(निशा मीना)  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2008/ 88105-14  
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक:  
24-05-2018

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
2. लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. श्रीमती लीना गांधी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार पर्चवानी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
5. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
6. श्रीमती प्रेमदेवी मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
7. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर।
8. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2 (बजट), महिला अधिकारिता, जयपुर।
9. कैशियर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
10. आदेश पत्रावली।

11. ACP (DD), महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का।

  
अतिरिक्त निदेशक,  
महिला अधिकारिता